RNI No. DELHI/2011/38257

## हंस प्रकाशन: 2021 में प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकें

समसामयिक सृजन

अक्टूबर-दिसंबर 2021

यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल
अक्टूबर–दिसंबर 2021
वर्ष 11, अंक–23

मूल्य–100/-
ISSN NO. 2320-5733

# समसामयिक सृजन

समकालीन साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति का संगम

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

# समसामयिक सृजन

**साहित्य, शिक्षा और संस्कृति का संगम**

*संरक्षक*
**डॉ. प्रभात कुमार**

*प्रधान संपादक*
**प्रो. रमा**

*संपादक*
**डॉ. महेन्द्र प्रजापति**

*संपादन सहयोग*
**रीमा प्रजापति**

*ले-आउट*
स्कोप सर्विसेज, दरियागंज, नई दिल्ली

***संपादकीय कार्यालय***
मकान नं. 189, ब्लॉक-एच
विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

***पत्राचार***
एफ-114, तृतीय तल, SLF वेद विहार,
नियर: शंकर विहार ऑटो स्टैंड, लोनी
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102

**सदस्यता**
आजीवन : 5000/-रुपए
संपर्क : 9871907081
*वेबसाइट* : www.samsamyiksrijan.com
*E-mail* : samsamyik.srijan@gmail.com

*प्रकाशक एवं मुद्रण*
**हरिन्द्र तिवारी**
हंस प्रकाशन, दिल्ली
मो. : 7217610640, 9868561340
ईमेल : hansprakshan88@gmail.com
वेबसाइट : www.hansprakashan.com



**विभाजन की त्रासदी और मंटो** 7
*विजय पालीवाल*

**प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) का विश्लेषणात्मक अध्ययन** 11
*डॉ. अजीत कुमार बोहत*

**स्त्री अस्मिता संघर्ष और राजकमल चौधरी का हिंदी कथा साहित्य** 15
*अजीत सिंह*

**आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इतिहास-दृष्टि** 18
*डॉ. अमित सिन्हा*

**मध्यवर्गीय जीवन और चन्द्रकिरण सौनरेक्सा का कहानी संग्रह 'आधा कमरा'** 20
*अनिता देवी*

**छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में जल संसाधन की भूमिका** 23
*डॉ. श्रीमती अनीता मेश्राम*

**राहुल सांकृत्यायन का यात्रावृत्त साहित्य में वर्णित धार्मिक पक्ष** 27
*अरूण माधीवाल*

**सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के पक्षधर : सुब्रह्मण्य भारतीय** 30
*डॉ. के. बालराजू*

**नेतृत्व और सम्प्रेषण का यथार्थ** 34
*डॉ. कुमार भास्कर*

**नयी कविता और कुँवर नारायण** 37
*भावना*

**आधुनिक दिल्ली हिंदी रंगमंच का स्वरूप** 40
*डॉ. धर्मेंद्र प्रताप सिंह*

**स्त्री अस्मिता का मिथक** 43
*गजेन्द्र पाठक*

**वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत-नेपाल संबंध** 45
*डॉ. गौरव कुमार शर्मा*

**रत्नकुमार सांभरिया की कहानियों में दलित का सामाजिक-बोध** 47
*गौतम कुमार खटीक*

**भारत में राजनीतिक विकास एवं संविधान संशोधन : एक विश्लेषण** 50
*गोविन्द नैनीवाल*



स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक तथा स्वत्वधिकारी : *डॉ. महेन्द्र प्रजापति द्वारा एच-ब्लॉक, मकान नं. 189, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 से प्रकाशित*



Seth R.C.S. Arts & Comm. College Durg (C.G.)

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

मुगल काल में जहाज निर्माण एक अध्ययन 488
*–नीलम कुमारी*

अफगानिस्तान की बदलती जियोपॉलिटिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका 492
*–प्रोफेसर श्याम मोहन अग्रवाल/डॉ. मोहन लाल जाखड़*

आधुनिक राजस्थान में व्यापार एवं वाणिज्य के केन्द्रों का ऐतिहासक अध्ययन 495
*–डॉ. राजेश कुमार मीना*

राजस्थान के ग्रामीण विकास में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का समावेषी एवं सतत विकास में योगदान : एक शोध परक अध्ययन 498
*–संजू बुटोलिया एवं डॉ. गुलाब बाई मीना*

''विकास और पर्यावरण का अधूरा सच मीडिया के परिप्रेक्ष्य में'' 503
*–डॉ. पार्वती गोसाई*

डायन-प्रथा के नाम पर झारखण्ड में महिलाओं की हत्या, उत्पीडन एवं डायन-हत्या पीड़ित परिवारों का मनोवैज्ञानिक स्थिति का अध्ययन और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता की अनुशंसा 506
*–डॉ. अनीता रंजन*

छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में अनुसूचित जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विश्लेषण 509
*–नितेश कुमार साहू/डॉ. प्रमोद कुमार यादव*

भारतीय समाज में बिहार के दलित महिलाओं की स्थिति 513
*–श्वेता कुमारी*

9 अगस्त ''अगस्त क्रान्ति दिवस'' को समर्पित ''राष्ट्र निर्माण और गांधी'' (1947 से 2020 तक) समसामयिक भारत के विशेष संदर्भ में 516
*–डॉ. आनंद यादव*

'मित्रो मरजानी' उपन्यास में नारी मूल्यों का हनन 520
*–डॉ. रीना डोगरा*

श्री लक्ष्मीनारायण पयोधि के साहित्य में जनजातीय संवेदना 522
*–ज्योति कुशवाहा/डॉ. अभिनेष सुराना*

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोकगीतों में सामाजिक परिदृश्य 525
*–रीना गोटे*

स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा का योगदान 529
*–डॉ. संगीता उप्पे*

''एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिरूचि का अध्ययन'' 531
*–डॉ. विनोद कुमार जैन/मिस.रूबी शर्मा*

''कोरोना काल मे दिव्यांजनो में स्वार स्वास्थ्यगत स्थिति का अध्ययन'' 536
*–विजय मानिकपुरी/डॉ. के. एल. शुक्ला*

संस्कृत-साहित्य में प्रतिबिम्बित भारतीय संस्कृति 539
*–डॉ. रतीश चन्द्र झा*

स्त्री विमर्श के आईने में 21वीं सदी की हिन्दी कहानियाँ 542
*–डॉ अनीता यादव*

दाम्पत्य शोषण के विरुद्ध आथ्मचेतस स्त्री-कोमल कर्फ्यू नाटक के विशेष संदर्भ में। 545
*–कोमल गांधार*

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षाक्रम का अनुशीलन 548
*–अमित कुमार दूबे*

अंग्रेजी कवि भौली के काव्य में प्रेम भावना तथा सौन्दर्य चेतना 551
*–डॉ. राखी उपाध्याय*

राम कथा में स्त्री, दलित एवं आदिवासी चेतना 554
*–रागिनी मिश्रा*

जैनेन्द्र कुमार के निबंधों में व्यक्ति और समाज 556
*–डॉ. रोहित कुमार*

वर्तमान काल का साहित्य और मीडिया निर्मित संवेदना 559
*–डॉ. आर्यकुमार हर्षवर्धन*

प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के कार्य संतुष्टि का लिंग एवं अधिवास के सन्दर्भ में अध्ययन 562
*–देवेन्द्र प्रताप सिंह/डॉ. रीता सिंह*

प्राथमिक शिक्षकों के अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन 565
*–राघवेन्द्र वीर सिंह/डॉ. अखिलेश चन्द*

स्नातक स्तर के कला एवं शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं संवेगात्मक समायोजन अध्ययन का तुलनात्मक 568
*–डॉ. डी.पी. मिश्र/रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी*

''भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास'' 571
*–रीना कुमारी*

महादेवी वर्मा रूकाव्य व्यक्तित्व का विकास 574
*–डॉ. ममता*

ब्रिटिश राज में हिन्दी पत्रकारिता 578
*–डॉ. विवेक कुमार जायसवाल*

भारतीय जनतंत्र में मीडिया और विज्ञापनों की भूमिका का एक अध्ययन 585
*–डा. योगेन्द्र कुमार पाण्डेय*

वेब सीरीज़ की सामाग्री का युवाओं पर प्रभाव का अध्ययन 588
*–अनुज*

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक संचार के आभासी माध्यमों का प्रादुर्भाव (प्रमुख राजनीतिक दलों और नेताओं का तुलनात्मक अध्ययन) 591
*–स्नेहाशीष वर्धन*

दैनिक जागरण समाचारपत्र में भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा का कवरेज: एक अध्ययन 595
*–डॉ. निरंजन कुमार*




Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

# छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में अनुसूचित जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विश्लेषण

नितेश कुमार सोंहू /डॉ. प्रमोद कुमार यादव

अनुसूचित जाति शब्द दो शब्दो के योग से बना है। अनुसूचित एवं जाति, जहॉ अनुसूचित का अर्थ है सूचियों और जाति शब्द का अर्थ है एक ही परिवार कुल वंश में उत्पन्न जनसमुदाय। इस प्रकार अनुसूचित जाति का अर्थकिसी सूची में सम्मिलित जातियों के समुह से है। समाज का एक तबका आज भी हाशिए पर है जो सदियो से अभाव का जीवन व्यतीत कर रहा है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना है कि "राजनीति सत्ता की वह मास्टर चाबी है, जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते है"। छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति कि कुल जनसंख्या 32,74,269 जो राज्य के 12.82 प्रतिशत आबादी है। छत्तीसगढ़ का 28वॉ जिला मुगेंली अनुसूचित जाति की बहुलता वाला जिला है जिसमें अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या राज्य के अनुसूचित जातियों के अनुपात में 27.76 प्रतिशत है। जिले के बहुसंख्यक आबादी होने के कारण अनुसूचित जाति का राजनीतिक रूप से मजबूत होना लाजिमी है।

**महत्वपूर्ण शब्द :–** अनुसूचित जाति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, मुंगेली

## प्रस्तावना

अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहले 'साइमन कमीशन' के द्वारा 1927 मे किया गया। इससे पुर्व अंग्रेजी शासनकाल में अनुसूचित जातियों के लिये सामान्यतः दलित शब्द का प्रयोग किया जाता था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने इन्हें हरिजन (ईश्वर की संतान) की संज्ञा दी। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही अनुसूचित जातियो के प्रति छुआ–छुत की भावना का वास रहा है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को सही मायनों में अनुसूचित जातियों का मसीहा कहा जाता है, जिनके प्रयासों से छुआ–छुत की भावना को अपराध माना गया एवं इसे भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया। वर्तमान समय में संसद, राज्य विधानसभा तथा शासकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति के लिये विशेष प्रावधानों होना संविधानसम्मत है।

संविधान निर्माण से पुर्व अनुसूचित जाति के विकास हेतु कई प्रयास किये गए जिसका उदाहरण हमें कम्यूनल अवार्ड से लेकर पूना पैक्ट तक दिखता है। आजादी के उपरांत संविधान सम्मत होने के कारण से अनुसूचित जाति ना सिर्फ समाजिक बल्कि राजनीति रूप से भी जागृत हुए है। यद्धपि प्राचीन समय से समाजिक परित्यक्ता का दंश झेल रहा यह समुदाय अपने सर्वांगिक विकास के लिए संघर्षशील रहा तथापि वर्तमान समय में अनुसूचित जाति का सर्वांगिक विकास शिक्षा, समाजिक समरसता एवं शासकीय नीतियों के द्वारा संभव हो रहा है।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में अनुसूचित जाति वर्ग का महत्वपूर्ण भूमिका है सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति कि कुल जनसंख्या 32,74,269 जो राज्य के 12.82 प्रतिशत आबादी है। जिसमें पुरूष अनुसूचित जाति कि जनसंख्या 16,41,738 एवं महिला अनुसूचित जाति कि जनसंख्या 16,32,531 है। इस जनसंख्या के अनुपात में छत्तीसगढ़ राज्य के राजनीति की प्रतिनिधित्व करती है। जहां लोकसभा मे दो सीट आरक्षित है एवं दस सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जिसमें मुंगेली जिले में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1,94,770 है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जातियों के अनुपात में 27.76 प्रतिशत सर्वाधिक है। मुंगेली जिले ने देश एवं राज्य को अनुसूचित जाति वर्ग से अनेक नेतष्त्व कर्ता प्रदान किये है। जिसमें प्रमुख रूप से रेशम लाल जांगडे, खेलन राम जांगडे, पुन्नु लाल मोहले इत्यादि है मुंगेली जिला में दो विधानसभाए है जो क्रमशः क्षेत्र क्र. 26 (लोरमी) जो सामान्य सीट है एवं क्षेत्र क्र. 27 मुंगेली। जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है जहाँ पुन्नु लाल मोहले विधायक हैं ।

## अनुसूचित जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पृष्ठभूमि

सन् 1909 में मार्ले–मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के आधार पर विधान मंडल में नेतृत्व दिया गया था। इसी तरह दलित आंदोलन को ध्यान में रखकर सन् 1911 की जनगणना में दलित जातियों की जनसंख्या को जानने के लिए प्रथम बार प्रमाणित प्रयास किया गया। जिसमें भारतीय जनसंख्या का 1/7 भाग दलित वर्ग का था। इसके पहले दलित वर्ग की जनसंख्या एवं उनकी राजनैतिक क्षमता का अनुमान नहीं लगाया गया था। मांटेग्यू घोषणा द्वारा अगस्त 1917 में ब्रिटिश शासन ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया था। इस परिवर्तित परिस्थितियों से दलित जन मानस की राजनैतिक सोच में परिवर्तन हुआ और राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रयास करने लगे। भारत में प्रांतीय विधानसभा की स्थापना के साथ ही देश के पश्चिम और दक्षिण हिस्सों के दलितों ने पहली बार ब्रिटिश सरकार से लेजिसलेटिव असेम्बली में नेतष्त्व की मांग की जिसके आधार पर 1921 के प्रथम प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचन में अनुसूचित जाति को राजनीतिक नेतष्त्व करने का मौका मिला।



Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

सन् 1930 में भारत में राजनीतिक आंदोलन की गतिविधियां तेज हो गई। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान निर्माण करने के लिए भारतीयों के राय जानने के लिए 12 नवंबर 1930 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि ा के रूप में डॉ भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया गया था। डॉ अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के लोगो की सभी प्रकार की समस्याओं को सर्वप्रथम विश्व में प्रचारित कर न्याय की माँग करते हुए कहा था कि दलित भाईयों की हालत दासों से भी ज्यादा बुरी है। इन्हें समान नागरिकता, समान अधिकारों का उपभोग, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण, विधान मंडलों में समुचित प्रतिनिधित्व, नौकरियों में प्रस्तुत पर्याप्त प्रतिनिधित्व और विशेष विभागीय सुरक्षा आदि अधिकारों की व्यवस्था एवं सुरक्षा की आवश्यकता है। जिस तथ्य को डॉ. अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में चिन्हित किया ताकि भारत के संविधान में दलितों को पूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो सके, परंतु इस विषय पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि इस आंदोलन में अखिल भारतीय कांग्रेस के भाग न लेने के कारण यह सम्मेलन असफल रहा परंतु दलितों की समस्याएं विश्व परिदृश्य पर आलोचना का विषय बन चुकी थी।इसके पष्चात सन् 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस की ओर से गाँधी जी ने भाग लिया। इस सम्मेलन में गाँधीजी का दृष्टिकोण यह था कि दलितो की माँगे एवं समस्याये हमारी घरेलू मुद्दा है। हम इसे सुलझाने में बहुत पहले से लगे हुए है। वहीं डॉ अंबेडकर एवं समस्याये हमारी घरेलू मुद्दा है। हम इसे सुलझाने में बहुत पहले से लगे हुए है। वहीं डॉ अंबेडकर का स्पष्ट नजरिया था कि यह संप्रदायिक समस्या इसी कमेटी को हल करना चाहिए या ब्रिटिश सरकार यह कार्य करे। डॉ अंबेडकर ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पैक्ट तैयार कर पेश किया जिसमें दलितों के राजनीतिक अधिकार के लिए स्वतंत्र आधार निर्माण करने के लिए अलग प्रतिनिधित्व की माँग की गई थी। इस पर गाँधी जी ने क्षोभ भरे शब्दों में कहा मैं अल्पसंख्यकों के माँगों को समझ सकता हूँ पर दलितों की ओर से पेश किया गया माँग मेरे लिए निर्दयी घाव हैं। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका विरोध ा करूंगा। इस पर डॉ. अंबेडकर ने भी कोधित होकर कहा कि जिन लोगों को लेन देन का सौदा करना हो करे हम दलितों के अधिकारों में हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगें। इस प्रकार कि गरमागरम बहस के बाद गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निर्णय तक पहुचे समाप्त हो गया।

सन् 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रखे गये माँगों के निर्णय की घोषणा की जिसे संप्रदायिक निर्णय के नाम से जाना गया, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन एवं दोहरी मतदान व्यवस्था स्वीकार कर लिया गया था। स्पष्ट है कि यहीं से अनुसूचित जाति के लिए पृथक रूप से राजनीतिक नेतृत्व के भूमिका के लिए आधार तय हुआ था। यह एक संप्रदायिक निर्णय था जिसमे मुसलमान, सिक्ख एवं ईसाई की तरह दलितों को अलग संप्रदाय मानकर राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये थे। उक्त सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के समय महात्मा गाँधी यरवदा जेल पूना में थे यहीं पर महात्मा गाँधी ने इस सांप्रदायिक निर्णय को समाप्त करने के लिए संकल्प किया और अपने प्रसिद्ध आमरण अनशन के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय में संशोधन करवाने के लिए डॉ अंबेडकर को मजबूर किया तथा सवर्ण नेताओं के दबाव एवं महात्मा गाँधीके प्राण रक्षा के लिए डॉ अंबेडकर ने मानवता के नाते महात्मा गाँधी से मिलने यरवदा जेल गये जहाँ पर महात्मा गाँधी और अंबेडकर के मध्य सार्थक समझौता हुआ। जिसे पुना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत अनुसूचित जातियों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त सांप्रदायिक निर्णय में संशोधन किया गया। पुना पैक्ट के आधार पर प्रोविंशियल असेम्बली एवं स्टेट असेम्बली वर्तमान लोकसभा और विधान सभा में जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षण की बात स्वीकारा गया परंतु दोहरी मतदान व्यवस्था को अस्वीकार किया गया। 1932 में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न प्रकार के सीटें सुरक्षित रखें गये:–

| क्र. | प्रांत का नाम | कुल सीटें | सांप्रदायिक निर्णय द्वारा | | पूना पैक्ट द्वारा | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आरक्षित | (प्रतिशत) | आरक्षित | (प्रतिशत) |
| 1. | असम | 108 | 3 | 2.8 | 07 | 6.5 |
| 2. | बंबई और सिंध | 200 | 10 | 5 | 15 | 7.5 |
| 3. | बंगाल | 250 | 11 | 4.4 | 30 | 12 |
| 4. | बिहार एवं उडीसा | 175 | 7 | 4 | 18 | 10.3 |
| 5. | मद्रास | 215 | 18 | 4.4 | 30 | 13.9 |
| 6. | मध्यप्रांत | 112 | 10 | 8.93 | 20 | 17.8 |
| 7. | पंजाब | 175 | 5 | 2.8 | 8 | 4.5 |
| 8. | यु.पी. | 228 | 12 | 5.3 | 20 | 5.8 |
| | योग | 1463 | 76 | 15.19 | 148 | 10.12 |

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सांप्रदायिक निर्णय के आधार पर अनुसूचित जाति को विधानसभा के कुल सीट 1463 में से 76 सीटें या 5.19: आरक्षित रखे गए थे। जबकि पुना पैक्ट के आधार पर कुल 148 सीटें या 10.12: सीटें आरक्षित रखे गये। पूना पैक्ट के आधार पर अनुसूचित जाति में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका के लिए सीटों में बढ़ोत्तरी तो हुई। परंतु दोहरी मतदान व्यवस्था जिसके माध्यम से एक मत का उपयोग अपने उम्मीदवार के लिए तथा दूसरे मत का उपयोग सामान्य उम्मीदवार के लिए ब्रम्हास्त्र के रूप में प्रयोग करता। जिसको अस्वीकार कर दिया गया। अतः अनुसूचित जाति में राजनीतिक नेतृत्व का



Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm
College Durg (C.G.

आधार गुणात्मक के बजाय पूना पैक्ट के आधार पर संख्यात्मक हो गया। पूना पैक्ट से सीटों की निश्चित संख्या तो बढ गई किंतु दोहरे मतदान का अधिकार छिन लिया गया। सीटों में यह बढोत्तरी दोहरे मतदान की क्षति पूर्ति कभी नहीं कर सकता। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा दिया गया दोहरे मतदान का अधिकार अमूल्य एवं विशेषाधिकार था। राजनीतिक हथियार के रूप में उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने योग्य अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर सवर्ण प्रत्याशी अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर निर्भर रहता तथा उनकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता था। जिसके आधार पर अनुसूचित जाति में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका आरक्षित सीटों के साथ–साथ कई सामान्य सीटों पर भी महत्वपूर्ण एवं गुणात्मक रहता।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इस ऐतिहासिक पूना पैक्ट के अनुसार जिन जातियों को अनुसूचित जाति माना गया उनके लिए विधायी संस्थाओं में स्थान सुरक्षित रखे गये। परंतु उनके लिए पथक निर्वाचन की व्यवस्था को मान्य नहीं किया गया। इस तरह राजनीतिक नेतृत्व का आधार 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक बना रहा। स्वतंत्रता पश्चात् संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के सदस्य भारतीय नेताओं को इस बात का एहसास था कि हमारा सामाजिक ढांचा गैर बराबरी के आधार पर बना हुआ है। हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था के द्वारा सामाजिक ढांचा को गैर बराबरी की मान्यता दी गई हैं। सदियों से एक विशाल जन समूह उच्च वर्णो द्वारा शोषित पीड़ित होता आया है। शोषण, उपेक्षा और अन्याय के कारण इस वर्ण ने दिशा में उपर चढने की प्रक्रिया में समाज के संपन्न वर्गों की तुलना में अत्याधिक पिछड़ गया। राष्ट्रीय एकता एवं विकास की दृष्टि से इन पिछडे वर्गों के विकास को आवश्यक एवं कठिन कार्य माना गया। इसी कारण भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि पिछडें हुए वर्ग के लोग अपना समुचित विकास खुद स्वयं कर सके और समाज के संपन्न वर्गों के समकक्ष आकर राष्ट्र की मुख्य धारा से स्वंय को जोड़ सके। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आरक्षण के तहत जनसंख्या केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर के राजनीति में अनुसूचित जाति की प्रतिनिधीत्व जनसंख्या के अनुपात पर निर्धारित किया गया है।

**अनुसूचित जाति से संबधित संवैधानिक प्रावधान**

भारत का समाज सदियों से वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित रहा जिसमें अनुसूचित जाति को सबसे निकृष्ट जाति के रूप में रखा गया था। बदलते वक्त के साथ उनकी यथास्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता रहा है। सियासी सरपरस्ती के अभाव एवं समाजिक बहिष्करण का दंश झेलने के कारण यह समुदाय न सिर्फ समाजिक रूप से उपेक्षित रहा बल्कि राजनीतिक गतिविधियों से भी उपेक्षित रहा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दरम्यान गोलमेल सम्मेलन एवं पूना पैक्ट के माध्यम से इस समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने एवं इसे राजनीतिक रूप से जागरूक एवं उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। आजादी के उपरांत संविधान में इस समुदाय को विशेष प्रावधान प्रदान किया गया जिसके तहत् निम्नलिखित बातों का वर्णन किया गया–

**1. संविधान की प्रस्तावना में:–** भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत में जाति–पाति, छुआ–छूत, असमानता, शोषण आदि को समाप्त कर सभी को समानता स्वतंत्रता और न्याय के लाभ प्रदान करने की बात की गई है। प्रस्तावना में परम्परागत हिंदू जाति व्यवस्था, धर्म एवं दर्षन पर कुठाराघात करते हुए मातृत्व की भावना पर बल दिया गया है और प्रस्तावना में उल्लेखित सभी कृतव्य सभी भारतीय नागरिकों के सामाजिक संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण एवं मूलाधार है। जो अपरिवर्तनीय है।

**2. नागरिकों के मूल अधिकार में:–** संविधान के भाग– 3 में भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है इन मूल अधिकारों का उद्देश्य जाति, वंश, अस्पृश्यता, शोषण आदि के भेद भाव को समाप्त करके समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं समाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए नागरिकों के मूल अधिकार के निम्न अनुच्छेदों में विशेष प्रावधान किया गया है जो निम्नांकित है:–

**अनुच्छेद 15** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निशेध। इसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग या जन्म–स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 (ठ) में यह स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों के मध्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म–स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या राज्य निधि से पूर्णतः पोषित तथा साधारणतः जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों आदि सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में भेद नहीं किया जा सकता है।

**अनुच्छेद 17** समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करके छुआछूत के व्यवहार को दण्डनीय अपराध घोषित करता है। इसी सन्दर्भ में संसद ने वर्श 1955 में 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' पारित किया। सितम्बर, 1976 में संशोधन कर इसे और अधिक कठोर बनाकर दण्ड उपबन्ध को ज्यादा सख्त कर दिया गया, जो तीसरी बार अपराध करने पर दो वर्ष तक की सजा या रू 1000 जुर्माने या दोनों एक साथ तक हो सकता है।

**अनुच्छेद 46–** राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों **(Educational and Economic Interest)** की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय (Social Injustice) और सभी प्रकार के शोषण (Euploitation) से उनकी रक्षा करेगा।

**अनुच्छेद 335:** अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान हैं।

**अनुच्छेद 338** में अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन कें लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति गठन करने का प्रवधान है।

**परिकल्पना :–**प्रस्तुत शोध पत्र में मुंगेली जिले के अनुसूचित जातियों मेंराजनीतिक प्रतिनिधित्वको समझने का प्रयत्न किया गया है। जिसके तहत् निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है। प्रथम, अनुसूचित जाति को समाजिक एवं राजनीति रूप से उपेक्षित रखने के कारण इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बाधित हुआ। दूसरा,अनुसूचित जाति को सवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के करण समाजिक एवं राजनीतिक उत्थान हो रहा है।

Seth R.C.S. Arts & Comm. College DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

**उदेश्य :–** प्रस्तुत शोध का उदेश्य छत्तीसगढ. राज्य के मुगेंली जिले में अनुसूचित जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक विशलेषणात्मक अध्ययन करना है। जिसके तहत प्राचीन काल से वर्तमान तक अनुसूचित जाति की समाजिक एवं राजनीति स्थति का अध्ययन किया गया जिसमें शोध ा का क्षेत्र छत्तीसगढ राज्य का मुगेली जिला है जहॉ अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा है। इस शोध पत्र के माध्यम से वर्तमान परिदृश्य में उनकें राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समझा जा सकेगा।

**अध्ययन पद्धति**

प्रस्तुत शोध पत्र को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्त्रोतों का उपयोग किया गया है जिसमें प्राथमिक स्त्रोत के अंतर्गत प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार विधि द्वारा अध्ययन क्षेत्र के 75 उत्तरदाताओं से उनका अभिमत प्राप्त किया गया। जिसमें मुंगेली जिले के तीनों विकास खण्ड़ो से चयनित 25 उत्तरदाताओं का चयन करके उनका साक्षत्कार लिया गयाएवं द्वितीयक स्त्रोंत में शोधपत्र से संबधित साहित्यों की समीक्षा की गई एवं जिला सांख्यिकि पुस्तिका मुंगेली के आंकड़ों का अध्ययन किया गया।

**निष्कर्ष:–**भारतीय समाज मनुवादी सोच पर आधारित रहा है जिसमें अनुसूचित जाति का समाजिक रूप से कोई स्थान नहीं रहा है लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के दरम्यान उठें राजनीतिक बहस ने अनुसूचित जाति को ना सिर्फ राजनीतिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया बल्कि समाजिक रूप से उन्हें अपनी पहचान दिलाने का काम किया। छत्तीसगढ़ का मुंगेली जिला अनुसूचित जाति का बहुसंख्यक आबादी वाला जिला है। अपने अध्ययन के उपरांत मैनें यह पाया कि यह जिला ना सिर्फ समाजिक रूप से अनुसूचित जाति के लिए संशक्त है बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी अहम है। यद्दिप अनुसूचित जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व कठिन संर्घषो से मिला है। यह वर्ग सदियों से दलित शोषित रूप में समाजिक अभिसाप को झेलते रहे है लेकिन संवैधानिक प्रावधानों एवं शासकीय नीतियों के द्वारा इनका उत्थान किया जा रहा है।

**सुझाव:**–यद्दिप समाजिक बहिष्करण का दंश झेल रहे समाज के किसी खास वर्ग के लिए समाजिक पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन संवैधानिक प्रावध ानों एवं शासकीय नीतियों के द्वारा अनुसूचित जाति के समाजिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए पटकथा लिखी जा रही है वो काबिले तारिफ है। वर्तमान परिस्थितियों के अवलोकन के उपरांत हम यह देखते है कि अभी इस दिशा में और भी कार्य करने की आवश्यकता है।

**संदर्भ**


- श्रीनिवास, एम. एन. (2016) "आधुनिक भारत मे जाति", राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
- माइकल एस० एम0. (2015) आधुनिक भारत में दलित सेज पब्लिकेशन्स,
- कुमार, डॉ० कृयप आलोक (2013) भारत में अनुसूचित जातियॉं (कल और आज) अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस
- सिंह उभय प्रसाद (2015) समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आन्दोलन
- ओरियंट ब्लैकस्यॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- शर्मा, डॉ. सुरेन्द्र कुमार (2007) संविधान और सरकार, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
- शर्मा, डॉ. दयाल शंकर (1995). प्रतिश्ठित भारतीय प्रभाव प्रकाशन, नई दिल्ली.
- शर्मा, डॉ. योगेन्द्र कुमार (2001) भारतीय राजनीतिक
- कुसुम, डॉ. यदुलाल (2006), दलित शिक्षा का परिदृश्य कल्पज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
- पाण्डेय, कुमार राजेन्द्र (2012) आधुनिक भारतीय चिंतन, रावत पब्लिकेशन्स
- लक्ष्मीकांत० एम० (2016). भारत कि राज्यव्यवस्था, मैकग्रा हिल पब्लिकेशन्स, अमेरिका
- जिला सांख्यिकि पुस्तिका (2016–17), जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय मुंगेली छ.ग.
- शोध पत्रिका– सामाजिक न्याय संदेश (जुलाई 2016)


□□

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)